>

Title: Regarding registration of alleged false cases against people protesting against non-availability of water and electricity in Gursarai town of district – Jhansi, Uttar Pradesh.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के जनपद झांसी के अंतर्गत एक तहसील गरौठा है। गरौठा के अंतर्गत एक गुरसरांय नगर है। गुरसरांय नगर के नगरवासी पानी, बिजली और सड़क के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहे थे। 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक उन्होंने अनशन किया। जिला प्रशासन ने उनकी सारी मांगों को मान लिया, लेकिन बाद में जानकारी हुयी कि जिला प्रशासन ने वहां के नगरवासियों के खिलाफ एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया है, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ नामजद और 3 सौ लोगों अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वह गुरसरांय थाने में दर्ज किया गया है, उसका अपराध संख्या है - 269/2007 है, जो धारा 147, 331, 341 आईपीसी व अन्य 7 अपराधों के तहत दर्ज किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं, कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे की शांतिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहे लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया है, उसे तुंत वापस लें।